


4  
73

### केवल नकल की फीस के लिये

आवश्यक न्यम सहीत कीर्तना फर देने की तारीख	गोदिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिवे जाने की तारीख	नकल वापिस देने व अधिकारी का हस्ता
25-06-22	28-06-22	28-06-22	



सुदेश थापा  
 प्रबन्धक/अध्यक्ष  
 निर्माण मजदगानी एजुकेशनल एण्ड  
 रिसर्च सोलैमपुर ताजिक  
 गाँवसुर (30प्र0)

# न्यायालय उप जिलाधकारी तहसील-जखनियाँ, जनपद-गाजीपुर

वाद संख्या-30/18-12-2021

धारा-143 ज0 वि0 अधि0

मौजा-नसीरपुर

परगना-शादियाबाद

निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट


बनाम

सुरेन्द्र यादव

## निर्णय

प्रस्तुत वाद प्रबन्धक सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री निर्मल यादव, निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, ग्राम-सलेमपुर, पोस्ट-वाजीदपुर, तहसील-जखनिया, जनपद-गाजीपुर द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि मौजा-नसीरपुर, में स्थित भूमि गाटा संख्या-668मि0 रकबा-0.6350 हे0, 682मि0 रकबा-0.1750 हे0, 8100.00 वर्गमीटर भूमि अकृषित भूमि है, जो दो गाटों में स्थित है। जो परस्पर आपस में सटे हैं। धारा-143 के अन्तर्गत इसे अकृषित घोषित किया जाय। इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि विद्यालय के प्रयोग में लायी जा रही है। इस लिए तफतील आराजी को आबादी दर्ज करना न्यायोचित होगा। अन्त में निवेदन किया है कि नियम 135 के तहत मसतहत अधिकारियों से आख्या तलब कर तफतील आराजी को आबादी श्रेणी 6(2) दर्ज करने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में दिनांक 16-12-2021 को वाद दर्ज किया गया तथा तहसील-जखनियाँ से जाँच आख्या देने हेतु उ0 न्यायालय द्वारा प्रतिलिपि जारी किया गया। जो राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थलीय जाँच कर अपनी आख्या पर लेखपाल दिनांक 20-12-2021 को दी गयी। राजस्व निरीक्षक द्वारा भू-लेख नियमावली की धारा-135(1) के अन्तर्गत नियत प्रोफार्मा पर अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत की गयी कि संख्या-668मि0 रकबा-0.6350 हे0, 682मि0 रकबा-0.1750 हे0, 8100.00 वर्गमीटर कागजात में निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, ग्राम-सलेमपुर, पोस्ट-वाजीदपुर, तहसील-जखनिया, जनपद-गाजीपुर प्रबन्धक सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री निर्मल यादव के बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, जो अकृषित भूमि अंकित है। हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट दी गयी है कि उक्त रकबे में निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, ग्राम-सलेमपुर, पोस्ट-वाजीदपुर, तहसील-जखनिया, जनपद-गाजीपुर के माँसी कालेज, स्थित है जिसे आख्या श्रेणी 6(2) कायम किया जा सकता है। इस वाद में निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी। मेरे द्वारा वाद व उसके अधिकार के तर्कों को सूना गया तथा आख्या तलब कर तहसीलदार जखनियाँ की आख्या दिनांक 27-12-2021 का अवलोकन किया गया। उक्त आराजी अकृषित प्रयोग में हो रही है। जिसे अकृषित घोषित किया जाना न्याय संगत है। भूलेख अधिनियम की धारा 135(1) के अन्तर्गत गैर कृषित भूमि के सम्बन्ध में विवरण हल्का लेखपाल/राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार जखनियाँ द्वारा देते हुए संस्तुति की गयी है।

  
प्रबन्धक/अध्यक्ष

निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड  
वेलफेयर ट्रस्ट स  
गाजीपुर

(2)

### आदेश

अतः तहसीलदार जखनियाँ की आख्या दिनांक 27-12-2021 को स्वीकार करते हुए मौजा-नसीरपुर, में स्थित भूमि गाटा संख्या-668मि0 रकबा-0.6350 हे0, 682मि0 रकबा-0.1750 हे0, 8100.00 वर्गमीटर जो निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, ग्राम-सलेमपुर, पोस्ट-वाजीदपुर, तहसील-जखनिया, जनपद-गाजीपुर के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, को धारा-143 के अन्तर्गत अकृषित किया जाता है तथा उसे रूपया 9.93 के मालगुजारी में से मुक्त किया जाता है। परगना उक्त बरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

### सत्य-प्रतिलिपि

दिनांक:-



(एस0डी0 सिंह) 27/06/22

उप जिलाधिकारी, जखनियाँ

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित व घोषित।

दिनांक:-



(एस0डी0 सिंह) 27/06/22

उप जिलाधिकारी, जखनियाँ

ATTESTED

28/06/2022  
जिला स्टाम्प अधिकारी  
गाजीपुर

सुजोय प्रसाद  
प्रबन्धक/अध्यक्ष

निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड  
वेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर वाजिदपुर  
गाजीपुर (3080)

